पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

चुंडावाड़ा

ग्राम पंचायत - चुंडावाड़ा,

तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - गाँव के लोग बतलाते हैं कि चुंडावाड़ा 200 साल पुराना गाँव है। चुंडावाडा का नाम रियासत के पहले भूरी देवली हुआ करता था। उस समय में इस स्थान पर 10-12 लोगों का समूह रहता था। उस समय चुंडावाड़ा तालाब नहीं था। एक समतल मैदान था। वह समूह तालाब में समतल स्थान पर रहता था। उस स्थान को ही भूरी देवली कहते थे। वर्तमान चुंडावाड़ा में उस स्थान पर भड़वाल नामक फला है। धीरे-धीरे लोग बढ़ते गए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगली पशु पक्ष-यों का शिकार किया करते थे। डूंगरपुर के राजा भी गाँव के जंगल में शिकार करने के लिए आते थे। एक बहुत बड़े इमली के वृक्ष पर राजा ने शिकार करने के लिए ओड़ा(झोपड़ी) बनवाई। धीरे-धीरे राजा ने वहीं रहने के लिए अपनी व्यवस्थाओं का विस्तार किया और एक तालाब निर्माण का विचार किया। गाँव के लोग बताते हैं कि राजा के लोग आते, जो भी लोग मिलते, उनको पकड़ कर ले जाते थे और उन से वेट(बिना पारिश्रमिक या मजदूरी के बेगारी का काम) करवाते थे। इस प्रकार वेट के काम से यह चुंडावाड़ा तालाब बनवाया गया और पास की पहाड़ी पर आदिवासियों को डरा-धमकाकर वेट करवा कर बिना पारिश्रमिक के महल भी बनवाया गया। जब भूरी देवली में लोग राजा के यहाँ मुफ्त में काम करते-करते परेशान हो गए तो वे वहाँ से भागकर हेहडी पाड़ा फले में रहने लगे।

गाँव का एक परिचय - चुंडावाड़ा गाँव डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 36 किलोमीटर दूर पश्चिम में बसा हुआ है, जिसकी ग्राम पंचायत चुंडावाड़ा और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। चुंडावाड़ा में करीब 920 घर हैं और जनसंख्या लगभग 4400 है। गाँव का रकबा 1660.52 हेक्टेयर है, जिसमें कृषि जमीन, बिलानाम और पहाड़ियाँ शामिल हैं। गाँव के कुछ फले इतने बड़े हैं कि अपने आप में राजस्व गाँव प्रतीत होते हैं। गाँव में चुण्डावाडा मुख्य फला, घाटा फला , हेहड़ी पाड़ा फला , ओटा फला पहला, ओटा फला दूसरा, भड़वाल फला , पटेलवाड़ा उपला, पटेलवाड़ा निचला, बामनिया फला , राजपूत बस्ती है। चुंडावाड़ा गाँव के आस-पास वेदावाड़ा कनबा, पावड़ा, नया गांव, लांबा भाटड़ा सेगाल महूड़ी, पीथापुर, खेरवाड़ा, कवालिया दरा और मोदर हैं।

गाँव में अनुसूचित जनजाति के लोगों के अतिरिक्त पटेल, गडरिया, लोहार, राजपूत, ब्राह्मण, कलाल, जोगी, रावल, दरोगा, दर्जी, यादव, भरोटा निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति के लोगों में डामोर, भगोरा, डोडीयार, अहारी, तबियाड़, मोलात, गमेती, बरंडा, कलासुआ, डामरा, वरहात, मनात आदि उपजाति निवास करते हैं। चुंडावाड़ा गाँव में गाँव सभा का गठन और शिलालेख 14 जुलाई 2018 को हुआ था। गाँव के कुछ लोगों को पेसा कानून की जानकारी है। पेसा कानून की जानकारी महिलाओं को बहुत कम है। गाँव के घाटा फला और हेहड़ी पाड़ा फले के पास लोग बरसों से वन सुरक्षा कमेटी बनाकर वन की देखरेख कर रहे हैं। दो-दो व्यक्तियों को वन सुरक्षा के लिए नियुक्त कर रखा है। उनको मासिक वेतन देते हैं। जिसके लिए राशि एकत्रित करने हेतु वन सुरक्षा के लिए हर परिवार से वार्षिक 200 एकत्र करते हैं। इस प्रकार सुरक्षा करने वाले लोगों को न्यूनतम भुगतान की व्यवस्था होती है। गाँव के लोग मक्का, उड़द, चावल, गेहूं, चना, कपास आदि की खेती करते है।

आवागमन की स्थिति - डूंगरपुर से चुंडावाड़ा जाने के लिए डूंगरपुर से 2 रोडवेज और 2 निजी बसें चलती हैं। बस चुंडावाड़ा बस स्टैंड पर उतार देती है। एक बस रात में गाँव में ही रुकती है। शाम 4 बजे के बाद गाँव से कहीं आने-जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है। चार बजे के बाद किसी को कहीं आना-जाना है, है उसे निजी वाहन या फिर पैदल बिछीवाड़ा जाना पड़ता है। वहाँ आवागमन का साधन मिलता है। चुंडावाड़ा में आदिवासी परिवार दूर-दूर पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। चुंडावाड़ा, बिछीवाड़ा ब्लाक के बड़े गाँवों में से एक है। बड़ा गाँव होने के कारण उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है। फले भी दूर-दूर हैं। एक फले से दूसरे फले में आने-जाने के लिए कच्चे और पक्के रास्ते (टूटे हुए) हैं, जो तीन से चार किलोमीटर में फैले हुए हैं। एक फले से दूसरे फले तक जाने में उतनी परेशानी नहीं होती, जितनी फले में अपने घर तक जाने में होती है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में 6 आंगनवाड़ियाँ- आंगनवाड़ी भड़वाल फला, आंगनवाड़ी ओटा वाला, आंगनवाड़ी घाटा फला, आंगनवाड़ी हेहड़ी पाड़ा फला, आंगनवाड़ी पटेल वाड़ा फला और आंगनवाड़ी बामणिया हैं। गाँव के घाटा फला में जो आंगनवाड़ी है, उसका भवन जर्जर है। आंगनवाड़ी में शौचालय भी नहीं है। वहाँ पर पोषाहार भी गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलता है। गाँव में एक और आंगनवाड़ी केंद्र के भवन को भी मरम्मत की जरूरत है। चुंडावाड़ा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पर वहाँ चिकित्साधिकारी मनमर्जी से आते हैं। केंद्र ए.एन.एम और एल.एच.वी. के भरोसे है। साथ ही उसके लिए भी नए भवन निर्माण की आवश्यकता है। वहाँ पर सामान्यत: महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण और प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। मरीज की स्थिति अगर ज्यादा गंभीर है, तो उसको डूंगरपुर या गुजरात के मोडासा और अहमदाबाद ले जाते हैं। गाँव में पशु चिकित्सा की सुविधा है।

दुविधा • सीएमएचओ बोले -जिले में डॉक्टरों की कमी, नहीं लगाया व्यवस्था में डॉक्टर

डॉक्टर नहीं, एएनएम व एलएचवी के भरोसे पीएचसी

सवाल : आचार संहिता में बगैर सूचना के मुख्यालय से गायब डॉक्टर, अब तक नहीं हुई कार्रवाई

भास्कर संवाददाता | बिछीवाड़ा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर का बिना सूचना के गायब रहना विभाग के लिए आम बात हो गई है। बिछीवाड़ा ब्लॉक क्षेत्र के चुंडावाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फरवरी माह से डॉक्टर नहीं है। मार्च माह बीतने में छह दिन का समय शेष रह गया है, लेकिन यहां पर अब तक कोई डॉक्टर नहीं आया है।

दरअसल, चिकित्सा विभाग ने चुंडावाड़ा पीएचसी में डॉक्टर अजय कुमार सैनी को नियुक्त किया था।

चुंड़ावाड़ा पीएचसी का भवन में पड़ी दवाइयां।

विभाग ने कार्य व्यवस्था के तहत बिछीवाड़ा सीएचसी पर नियुक्त किया था। इसके बाद से डॉक्टर चुंडावाड़ा पीएचसी पर नहीं आए। वहीं विभाग में भी बिना सूचना के गायब चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों सीएमएचओ को निरीक्षण में इसकी जानकारी मिल गई थी इसके बाद भी कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं किया गया। वहीं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने के कारण ओपीडी कम हो रही है। अभी वर्तमान में ओपीडी मात्र 20 रह गई है। पीएचसी में एक एलएचवी ओर एक एनएनएम के भरोसे ही व्यवस्था चल रही है।

डॉक्टर की कमी है...

मामले की जानकारी है। डॉक्टर को बिछीवाड़ा सीएचसी लगाया था, वहीं से अनुपस्थित चल रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग के पास डॉक्टर की कमी है, इसलिए परेशानी आ रही है।

-डॉ महेंद्र कुमार परमार, सीएमएचओ, डूंगरपुर

गाँव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बतलाता एक समाचार

1. गाँव में चार प्राथमिक विद्यालय- राजकीय प्राथमिक विद्यालय घाटा फला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बामणिया, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेहड़ी पाड़ा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटेल वाड़ा; तीन उच्च प्राथमिक विद्यालय-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भड़वाल फला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओटाफला और राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चुंडावाड़ा और एक माध्यमिक विद्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय चुंडावाड़ा है। सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। विद्यालयों में शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चों के बैठने के लिए कमरों की कमी है। स्कूलों में शौचालय भी जर्जर हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त स्कूलों में खेल के मैदान और परकोटों का अभाव है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं है। सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा का स्तर निम्न है। बच्चों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों का अक्षर ज्ञान तथा उच्चारण सही नहीं आते हैं। गाँव के कुछ युवा स्नातक पढ़ने के लिए बिछीवाड़ा कॉलेज जाते हैं। कुछ बच्चे डूंगरपुर भी जाते हैं। जहाँ वे हॉस्टल या किराये का कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं।

गाँव सभा की समस्याओं का विवरण-

आवागमन की कमी - गाँव में सिर्फ तीन पक्की सड़कें हैं, जिसमें से दो की हालत खराब है। गाँव में चार सीसी सड़कें और पाँच कच्ची सड़के हैं। चारों सीसी सड़कें टूटी फूटी हैं और बारिश में जगह-जगह से कट गई हैं। कच्ची सड़कें भी बहुत खराब स्थिति में हैं। गाँव में एक फले से दूसरे फले में जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं जो बरसात में खराब हो जाते हैं। कच्चे रास्तों के बाद लोगों को अपने-अपने घरों तक जाने के लिए पगडंडी है, जिस पर केवल पैदल ही चला जा सकता है। सिर्फ पगडंडी होने के कारण मरीजों को अस्पताल ले जाने और वापस ले आने में होती है। गाँव के बस स्टैंड तक जाने के लिए लोगों को तीन किलोमीटर पैदल या निजी वाहन से जाना पड़ता है।

1. **भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी** - गाँव की अधिकांश समतल जमीन पाटीदारों और राजपूतों के कब्जे में है। कुछ समतल जमीन पूरी तरह पथरीली है, जिस पर खेती संभव ही नहीं है। गाँव में चरागाह भी नहीं है। आदिवासियों के पास जो खेत की जमीन है, वह पहाड़ों की ढलान पर पथरीली एवं ऊबड़-खाबड़ है। आदिवासियों के पास उपज लायक भूमि बहुत कम है। आदिवासी किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं। सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गाँव की समतल जमीन और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है, लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग की गाँव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है।

ज्यादातर पहाड़ियाँ न तो उनके नाम हैं, न ही उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। चुंडावाडा गाँव में करीब 300 बोरवेल, 2 सार्वजनिक कुएं, 90 निजी कुएं, 80 हैंडपंप और दो तालाब छोटा डपति तालाब व बड़ा चुंडावाड़ा तालाब हैं। सिंचाई के लिए गाँव में लोगों ने अपने-अपने निजी लगभग 300 बोरवेल(ट्यूबवेल) लगा रखे हैं। बोरवेल से लगातार पानी निकलने के कारण गर्मी में गाँव का भू-जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। जल स्तर ऊँचा करने के लिए गाँव वालों के पास अभी कोई योजना नहीं है। गाँव में पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग गहराई वाला पानी पीते हैं, जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए गाँव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट नहीं है, और ना ही उनके पास अभी तक जल प्रबंधन की कोई योजना है। चाहे वह सिंचाई के लिए हो या जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कुपोषण की समस्या - गाँव के बच्चों और किशोरों और प्रसूति माताओं में कुपोषण की समस्या गम्भीर है। यह इस एक गाँव की ही नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की समस्या है। खाने में प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की कमी के चलते वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बच्चों में खून की कमी भी आम बात है। प्रसूति माताओं को भोजन में पौष्टिक चीजें नहीं मिलने से कुछ बच्चे जन्म से ही कमजोर होते हैं। कुछ बाद में कमजोर हो जाते हैं। एक सर्वे में पाया गया कि डूंगरपुर बाँसवाड़ा क्षेत्र के 21% बच्चे जन्म से ही कमजोर पैदा हो रहे हैं। वहीं 31% बच्चों की पसलियां धँस चुकी हैं। लोगों की आर्थिक तंगी, खान पान की आदतों और आंगनवाड़ी में पोषाहार वितरण में बढ़ रहे भ्रष्टाचार आदि के कारण यह समस्या बढ़ रही है।

कृषि और रोजगार की स्थिति - गाँव के लोगों के पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली जमीन है, जिस पर वे खेती करते हैं। खेती भी मात्र एक फसल की कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनके पास इतनी कृषि योग्य भूमि भी नहीं है कि वे लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सकें। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। अधिकतर कृषि योग्य समतल और सिंचित भूमि पटेलों, राजपूतों के पास है। चारे की कमी के कारण लोग पशुपालन भी नहीं कर सकते हैं। कृषि भूमि कम होने के कारण वह मनरेगा में मजदूरी करते हैं। वहाँ भी उन्हें 100 रु. से कम ही मजदूरी मिलती है और काम भी 60-70 दिन ही मिलता है। इसलिए मनरेगा में अधिकतर महिलाएं जाती है। युवा और पुरुष गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। वहाँ वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का किसी तरह भरण-पोषण करते हैं। गाँव के लगभग दस लोग सरकारी नौकरी में हैं।

पशुपालन हेतु चारे व चारागाह की कमी - गाँव में मवेशियों के नाम पर कुछ लोगों के पास एक -दो गाय, भैंस, बैल और बकरियाँ ही हैं। चारे की कमी के कारण और देशी नस्ल की होने से गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है, जो केवल बच्चों के पीने भर के काम आता है। पाटीदार परिवारों के पास समतल जमीन होने से उनके सामने चारे का संकट नहीं होता है। चारे की समुचित व्यवस्था होने से पाटीदार परिवार पशुपालन करते हैं और दूध का व्यवसाय भी करते हैं। चारे की समुचित व्यवस्था होने से उनके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, जिससे वे दूध भी अधिक मात्रा में देते हैं। जिनके पास चारे की समुचित व्यवस्था नहीं है उनके लिए बकरी और भेड़ पालन भी कर पाना कठिन है। वे लोग गरीबी के कारण पशुओं के लिए चारा भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं। गाँव के कुछ ही लोगों के पास अच्छी और उपजाऊ कृषि भूमि होने से उनको चारे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। गाँव के चारागाह और पहाड़ियों पर कुछ लोगों का कब्जा होने से जो घास मिलती है, वह उनके चारे की कमी को पूरा कर देती है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति- गाँव के अधिकतर लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। मनरेगा में सौ दिन काम नहीं मिलने से लोग श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र हो चुकी है, लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। लोगों को उम्र संशोधन कराने की जानकारी नहीं है। अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं, तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी इसके लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त पैसे की भी माँग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। अक्सर राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के अलावा उनको न चावल, न चीनी और न ही मिट्टी का तेल मिलता है। मिट्टी का तेल नहीं मिलने के कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है, क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है। जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है, उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल तालाब नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	गाँव में नाले, एनिकट, दो सार्वजनिक कुएं, लगभग 90 निजी कुएं, 80 हैंडपंप और 2 तालाब हैं। तालाब के आसपास के लोग सिंचाई कर लेते हैं। मगर इन तालाबों से सिचाई हेतु नहरें नहीं हैं, इसलिए गाँव के बाकी लोग तालाब से सिंचाई नहीं कर सकते	गांव के पहाड़ों के दर्रे पर एनिकट का निर्माण और तालाब का गहरीकरण और मरम्मत कर दी जाए तो गाँव में सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। जलस्तर भी ऊँचा हो जाएगा। और गर्मियों में होने वाले पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के

	हैं। गर्मियों में जल संकट बढ़ जाता है। कुआं, हैंडपंप और ट्यूबवेल का जलस्तर भी गर्मी आते-आते कम हो जाने से परेशानी बढ़ जाती है।	पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊँचा किया जा सकता है। साथ ही साथ फ्लोराइड की समस्या से निजात पाई जा सकती है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि	गाँव में समतल, पहाड़ी ढलान, ऊबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ हैं। समतल जमीन काफी उपजाऊ है, परंतु कम है। गाँव में बिला नाम जमीन भी है, जिस पर लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गाँव में चारागाह नहीं है।	गाँव की कुछ जमीन का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं, उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती करके भी आय बढ़ाई जा सकती है।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित एवं समाधान -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	पंचायती राज विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण गाँव के जिन रास्तों का निर्माण किया जाता है, वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होता और रास्ते जल्द ही ख़राब होकर टूट-फूट जाते हैं। आपसी विवाद के कारण कुछ लोग अपनी जमीन भी नहीं देते हैं, जिससे रास्ते के निर्माण में परेशानी होती है।	गाँव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहाँ-जहाँ रास्ते नहीं हैं, वहाँ के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते के संकट का समाधान होने की संभावना है। साथ ही साथ गाँव में रास्ते के लिए जमीन संबंधी विवाद निपटाने का भी निर्णय लिया गया है।	**तात्कालिक**
2	**शिक्षा**	**सार्वजनिक**	गाँव में कुल 8 विद्यालय हैं,	इस समस्या के समाधान	**तात्कालिक**

	व्यवस्था ठीक नहीं होना		इसके बाद भी बच्चों की शिक्षा का स्तर निम्न है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो पर्याप्त अध्यापक हैं, और न ही पर्याप्त कमरे हैं। सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उसकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है और न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है। विद्यार्थियों को विद्यालय में पीने का शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं है।	के लिए गाँव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गाँवों की भी मदद ली जाएगी।	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नत शील बीज और खाद का अभाव है।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। गाँव के दोनों तालाबों का गहरीकरण करण और मरम्मत। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देकर गाँव के लोगों की आय बढ़ाना।	**तात्कालिक**
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव में शासन की आवास योजना के तहत आवास आवंटित किए जाते हैं और आवास बनते जाने पर उनका भुगतान किश्तों में किया जाता है। गाँव के जिन लोगों को आवास की जरूरत होती है, उनको पहले प्राथमिकता	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनको पेंशन	**तात्कालिक**

			से आवंटन करने की जगह प्रभावशाली लोगों का आवास आवंटन पहले किया जाता है। अभावग्रस्त और गरीब लोगों को आवास आवंटन के लिए पंचायत के बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। भूले-भटके आवास आवंटन हो भी जाता है, तो उसके भुगतान के लिए उन्हें बार-बार चक्कर लगाना होते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग जीवित रहने का प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं और उनकी पेंशन रुक जाती है। कुछ की पेंशन पाने की उम्र होने पर भी परिचय दस्तावेजों में उनकी उम्र कम होने से वे पेंशन से वंचित रह जाते हैं।	योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	चुंडावाड़ा गाँव में आदिवासी लोग कई पीढ़ियों से जिस भूमि पर बसे हुए हैं और खेती कर रहे हैं तथा कुएं बना रखे हैं, उस काबिज भूमि का उन्हें खातेदारी हक नहीं मिला है। राजस्व विभाग ने खातेदारी का हक़ देना बंद कर दिया है और धारा 91 में पेनाल्टी लेना भी बंद कर रखा है, जिससे भविष्य में आदिवासियों की भूमि सरकार द्वारा छीन लिए जाने का खतरा पैदा हो गया है।	काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करना। जिस पट्टे की जमीन की पेनाल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है, उसे कोर्ट में जमा करना। क्योंकि पेनाल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा। धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**
6	**पेयजल की**	**सार्वजनिक**	जल संसाधनों के उपलब्ध	शुद्ध पीने के पानी के	**तात्कालिक**

	समस्या		होने के बावजूद गाँव में शुद्ध पीने के पानी की समस्या है। इसका एक कारण यह है कि लोग हैंडपंप का गहराई का पानी पीते हैं, जिसमें फ्लोराइड और आयरन की मात्रा पाई जाती है। फ्लोराइड के कारण लोगों में फ्लोरोसिस लोग रोग हो जाता है। गाँववासियों के दांत पर पीले निशान हो जाते हैं, और हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। गर्मियों में भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण मात्र कुछ लोगों के ही कुएं में पानी रहता है। गर्मी में गाँव के कई परिवारों को पीने का पानी एक-दो किलोमीटर दूर से सिर पर ढोकर लाना पड़ता है।	लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण। तालाबों की मरम्मत। नालों पर नये एनिकट का निर्माण। पुराने एनिकट की मरम्मत कर भू-जल स्तर ऊँचा करने का प्रयास करना।	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन पक्की सड़क कच्चे रास्ते मजदूर	कच्चे व पक्के रास्तों की सही समय पर मरम्मत न होना। फले में एक-दूसरे के घर जाने के लिए रास्ता न होना। जमीन अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ होना। मानदेय अनुसार और समय पर मजदूरी न मिलना। सड़क के लिए जमीन देने में लोगों में आपसी विवाद।	सड़क मरम्मत का कार्य मनरेगा के तहत किया जा सकता है। जहाँ जमीन अधिक ऊबड़-खाबड़ है, वहाँ समतलीकरण कच्ची सड़क बनायीं जा सकती है। कच्ची सड़क को सीसी सड़क में तब्दील किया जा सकता है। कच्ची-पक्की-सीसी सड़क निर्माण से आवागमन आसान बनाया जा सकता है। निर्माण कार्य के दौरान मनरेगा में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। बच्चे समय से स्कूल और बीमार समय से अस्पताल पहुँच सकते हैं। छोटे-मोटे उद्योग-धंधे किये जा सकते हैं।	पंचायत और मेट द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकना। गाँव सभा द्वारा विकास कार्यों को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना। निगरानी समिति द्वारा विकास कार्यों की लगातार निगरानी करना। सड़क निर्माण के लिए जमीन विवाद को निपटाना। गाँव सभा को मजबूत करना।
जल तालाब कुआं बोरवेल हैंडपंप	जलस्तर दिन-प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। अधिक निजी बोरवेल का होना। कुओं और हैंडपंप को रीचार्ज न करना। बारिश का पानी संग्रहित करने की कोई योजना न होना।	गाँव में चेकडैम का निर्माण और एनिकट की मरम्मत की जा सकती है। तालाब और कुएं का गहरीकरण किया जा सकता है। बारिश के पानी को योजनाबद्ध तरीके से	पंचायत द्वारा जल संग्रहण को प्राथमिकता देकर योजना बनाना। जल समस्या का निवारण गाँव सभा में तय करना। गाँव के लोगों में जल संग्रहण के प्रति जागरूकता पैदा करना। गाँव सभा को मजबूत

		रोका जा सकता है। बोरवेल के उपयोग पर नियंत्रण व नियम बनाए जा सकते हैं।	करना।
आजीविका संवर्धन कृषि पशुपालन सब्जी की खेती मछलीपालन चारागाह मनरेगा मजदूरी	कृषि भूमि पथरीली व ऊबड़-खाबड़ होना। मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा न होना। रोजगार के अन्य साधनों के प्रति कोई योजना न होना। मनरेगा के प्रति लोगों की उदासीनता। चारागाह पर अवैध कब्ज़ा।	भूमि समतलीकरण और प्राकृतिक उपायों द्वारा भूमि उपजाऊ बनाई जा सकती है। पशुपालन के तहत छोटे जानवर जैसे भेड़, बकरी मुर्गी आदि के साथ मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। तालाब, एनिकट में मछलीपालन किया जा सकता है। सब्जी उगाई जा सकती है। चारागाह जमीन को विकसित कर चारे का प्रबंध किया जा सकता है। गाँव में विकास के सभी कार्य मनरेगा के तहत कराये जायें।	रोजगार के अन्य साधनों के प्रति गाँव के लोगों को जागरूक करना। मनरेगा को उसके मूल रूप में लागू करवाना। गाँव सभा को मजबूत करना। चारागाह जमीन से अवैध कब्ज़ा हटाना। पंचायत के भ्रष्टाचार को रोकना।
भूमि **बिलानाम भूमि** **खाली भूमि**	बिलानाम भूमि पर काबिज लोगों को अधिकार पत्र न मिलना। खाली पड़ी जमीन के उपयोग हेतु किसी योजना का निर्माण न होना।	बिलानाम भूमि का अधिकार पत्र प्राप्त करने के की योजना बनाना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। खाली जमीन पर गाँव का सामुदायिक दावा	भूमि अधिकार पत्र प्राप्त करने की लड़ाई से लोगों को लम्बे समय तक जोड़े रखना। संगठित होकर लोगों द्वारा सामूहिक दावे की माँग करना। गाँव सभा को मजबूत

		किया जा सकता है। खाली जमीन को मनरेगा के तहत विकसित करना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना।	करना। ।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

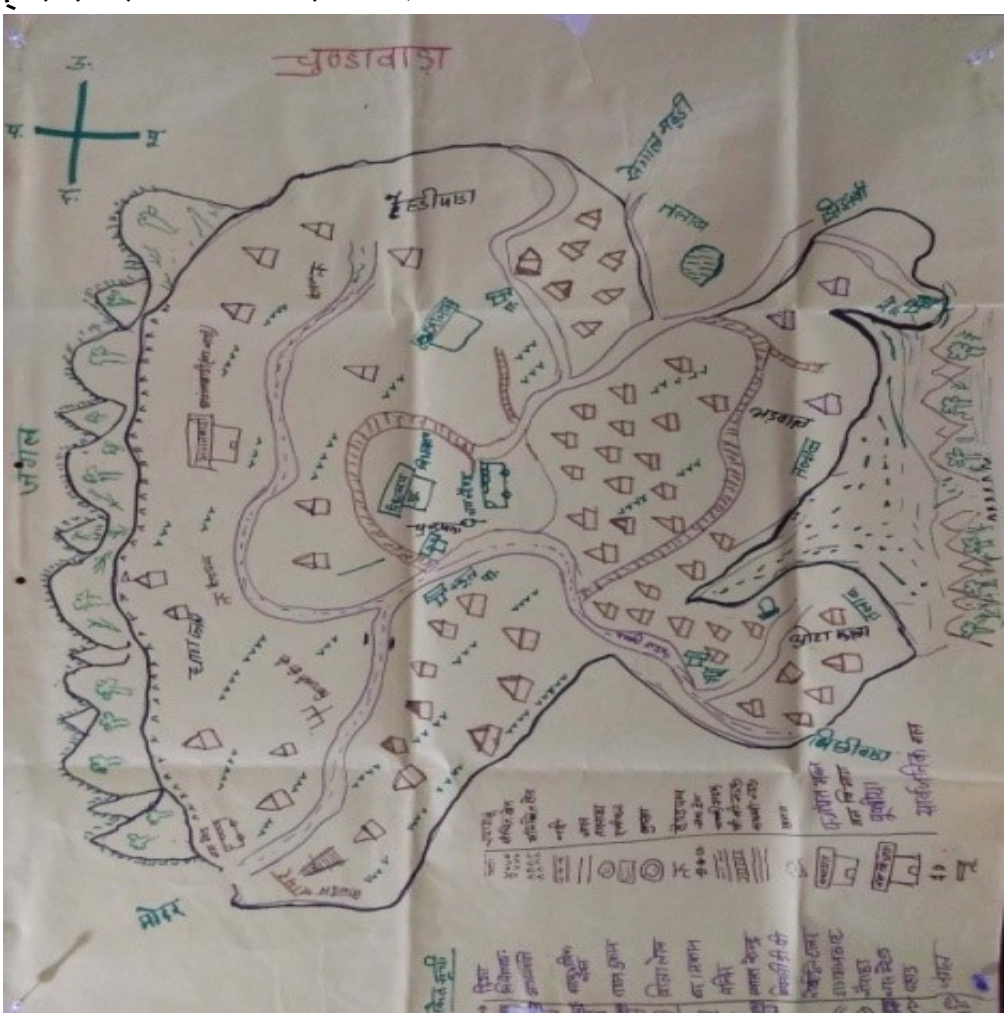

नजरिया नक्शा चुंडावाड़ा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र.सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन	18
	बंद वृद्धा पेंशन फिर से चालू करवाना	1
	विकलांग पेंशन	4
	विधवा पेंशन	10
	पालनहार योजना	4
2	प्रधानमंत्री आवास निर्माण	64
3	शौचालय निर्माण	6
4	विद्यालय के सम्बन्ध में **रा.प्रा.वि.धाराफला** अध्यापक नियुक्ति - 4 कक्षा कक्ष निर्माण - 4 शौचालय में पानी की व्यवस्था आर. ओ. प्लांट फर्नीचर **रा.बालिका प्रा.वि.चुंडावाड़ा** कक्षा कक्ष मरम्मत - 6 खेल मैदान परकोटा आर.ओ.प्लांट खेल सामग्री और फर्नीचर **रा.उ.प्रा.संस्कृत वि.ओटाफला** अध्यापक नियुक्ति - 5 कक्षा कक्ष निर्माण - 2 आर. ओ. प्लांट खेल सामग्री और फर्नीचर खेल मैदान मय परकोटा **रा.उ.प्रा.वि.चुंडावाड़ा** खेल मैदान मय परकोटा	3
5	कन्या छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में	1
6	आंगनवाड़ी के सम्बन्ध में **नई आंगनवाड़ी का निर्माण-ओटाफला में**	3

	घाटा फला में आंगनवाड़ी • भवन की मरम्मत • आंगनवाड़ी में शौचालय निर्माण • पोषाहार गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलता है **आंगनवाड़ी केंद्र चुंडावाडा** • भवन मरम्मत	
7	**PHC के सम्बन्ध में -** नया भवन निर्माण	
8	**सामुदायिक भवन के सम्बन्ध में** राज महुडा घाटा फला में सामुदायिक भवन निर्माण	
9	कैटेगरी 4 के कार्य खेत समतलीकरण मेड़बंदी खेत तलावडी कुआ निर्माण कुआ गहरीकरण मरम्मत और पशु बाड़ा निर्माण	97
10	रास्ता निर्माण के संबंध में	4
11	एनीकट निर्माण के संबंध में	2
12	पक्के चेक डैम के संबंध में	25
13	वृक्षारोपण के संबंध में	9
14	सार्वजनिक कुए का गहरीकरण	3
15	विद्युतीकरण	9
16	श्मशान घाट	5
17	श्रमिक कार्ड बनवाने के सम्बन्ध में	26
18	जॉब कार्ड बनवाने के सम्बन्ध में	8
19	सामुदायिक वन दावा पत्र करने के सम्बन्ध में	1
20	काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने के संबंध में	1
21	सामाजिक विवाद निपटारा के संबंध में	
22	सामाजिक कुरीतियों के संबंध में डायन प्रथा मौताणा प्रथा बाल विवाह बाल श्रम	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

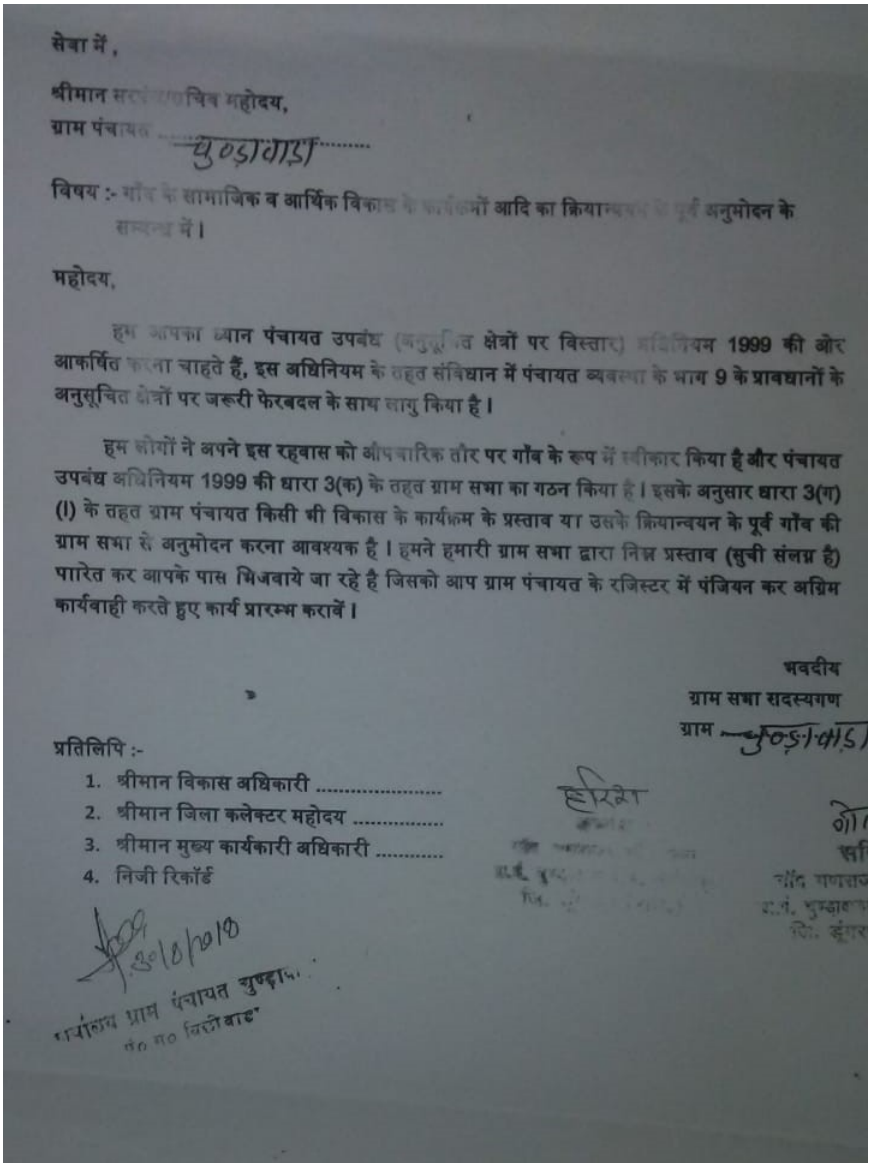

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ......चुण्डावाड़ा.........

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग)(I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम चुण्डावाड़ा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

30/8/2010
कार्यालय ग्राम पंचायत चुण्डावा...
पं० स० बिछीवाड़ा

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

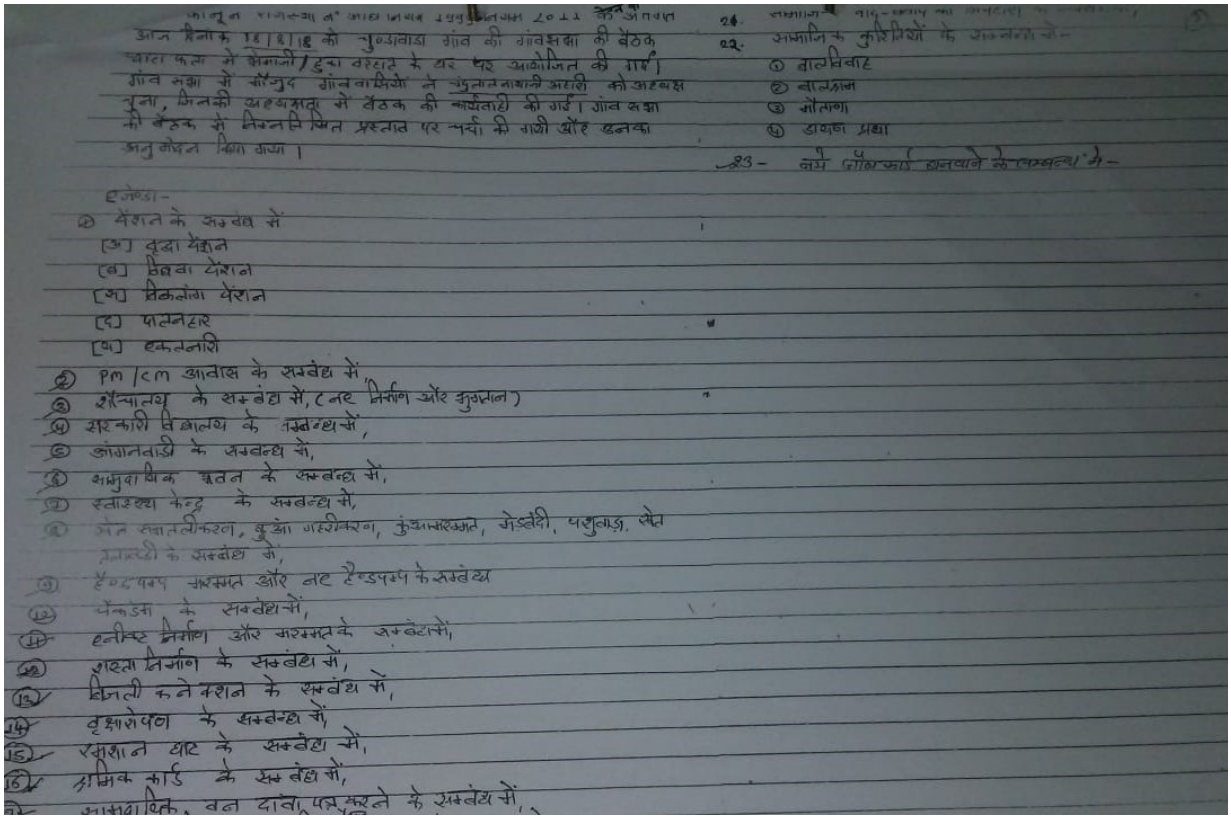

कानून ... 2011 के अंतर्गत
आज दिनांक 16/6/18 को चुण्डावाड़ा गांव की गांवसभा की बैठक चौरा कला में सेमाजी/हुका वरहात के घर पर आयोजित की गई। गांव सभा में मौजूद गांववासियों ने चंदुलाल नाथाजी अहारी को अध्यक्ष चुना, जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा की गयी और इनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा –
① पेंशन के सम्बंध में
[अ] वृद्धा पेंशन
[ब] विधवा पेंशन
[स] विकलांग पेंशन
[द] पालनहार
[य] एकलनारी
② pm/cm आवास के सम्बंध में,
③ शौचालय के सम्बंध में, (नए निर्माण और कुशल)
④ सरकारी विद्यालय के सम्बन्ध में,
⑤ आंगनवाड़ी के सम्बन्ध में,
⑥ सामुदायिक भवन के सम्बन्ध में,
⑦ स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में,
⑧ मेंत समतलीकरण, कुआं गहरीकरण, कुआ मरम्मत, मेड़बंदी, पशुबाड़ा, खेत तलाई के सम्बंध में,
⑨ हैण्डपम्प मरम्मत और नए हैण्डपम्प के सम्बंध
⑩ पेंकडा के सम्बंध में,
⑪ एनीकट निर्माण और मरम्मत के सम्बंध में,
⑫ रास्ता निर्माण के सम्बंध में,
⑬ बिजली कनेक्शन के सम्बंध में,
⑭ वृक्षारोपण के सम्बन्ध में,
⑮ श्मशान घाट के सम्बंध में,
⑯ श्रमिक कार्ड के सम्बंध में,
[illegible] सामुदायिक, वन दावा पत्र करने के सम्बंध में,

21. [illegible]
22. सामाजिक कुरीतियों के सम्बन्ध में –
① बालविवाह
② बालश्रम
③ मौताणा
④ डायन प्रथा
23 – नये जॉबकार्ड बनवाने के सम्बन्ध में –

प्रस्ताव प्रथम पेज

... सर्व सहमति से पारित किये गये।

गॉव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नांकित लोगो अधिकृत किया जाता है।

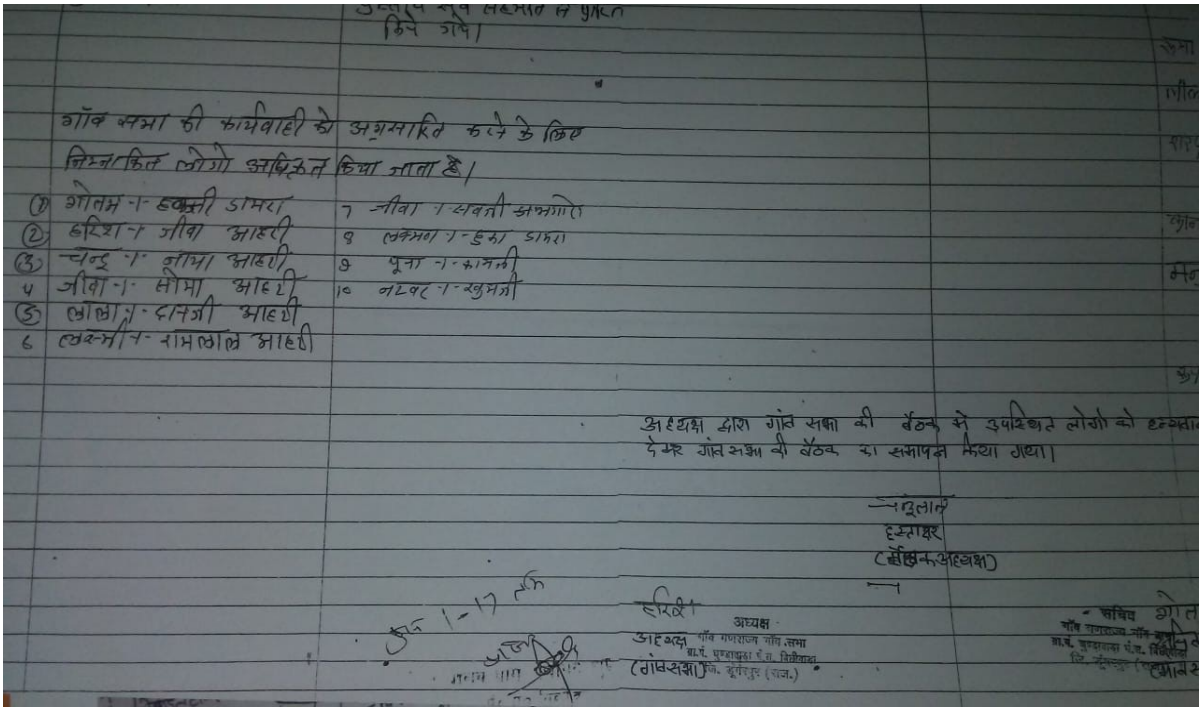

① गोतम s/o हकरी डामरा
② हरिश s/o जीवा आहरी
③ चन्दू s/o नाथा आहरी
4 जीवा s/o सोमा आहरी
⑤ लालाs/o दानजी आहरी
6 लक्ष्मी s/o रामलाल आहरी
7 जीवा s/o सवजी अभगोत
8 लक्ष्मण s/o हुका डामरा
9 पूना s/o कानजी
10 नरवर s/o रूपजी

अध्यक्ष द्वारा गांव सभा की बैठक में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देकर गांव सभा की बैठक का समापन किया गया।

चंदुलाल
हस्ताक्षर
(बैठक अध्यक्ष)

हरिश
अध्यक्ष
गाँव गणराज्य गाँव सभा
ग्रा.पं. चुण्डावाड़ा पं.स. बिछीवाड़ा
जि. डूंगरपुर (राज.)
(गांवसभा)

सचिव गोतम

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम(V.P.F.T.)-

क्र.	नाम	फोन न.
1	हरीश भगोरा	9001339534
2	विश्राम अहारी	7568722896
3	चंदूलाल लक्ष्मण जी अहारी	8696353618
4	दिनेश कुमार डामोर	9950624481